न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 —29 / 2019

अनवान : —

1. मनफुल पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट (झोरड़) निवासी कणाउ तहसील भादरा हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)।

वादी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण **वादी**
पेरोकार राज **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 03/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 142 / 144 के खसरा सं 232 में कुल 13.658 है0 बारानी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में फुला वल्द हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाउ के नाम दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में वादी का नाम फुला वल्द हरिसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मनफुलसिंह वल्द हरीसिंह निवासी कणाउ हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य सभी दस्तावेज मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह के नाम से ही है। वादी का सभी दस्तावेजों में नाम मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम फुला वल्द हरीसिंह की जगह मनफुलसिंह वल्द हरीसिंह करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में मनफुल पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी कणाउ हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा व हरलाल पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कणाउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा कणाउ के खाता सं 142/144 सवत 2072–2075 प्रदर्श 1 खसरा गिरदावरी सवत 2029 प्रदर्श 2 पहचान पत्र चित्र प्रति प्रदर्श 3ए आधार कार्ड चित्र प्रति प्रदर्श 4ए राशन कार्ड चित्र प्रति प्रदर्श 5ए राशन कार्ड हरियाणा सरकार प्रदर्श 6ए पास बुक प्रदर्श 7ए एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाउ प्रदर्शित करवाये। दौरान साक्ष्यवादी जिरह राजपैरोकार की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा कणाउ के खाता सं 142/144 के खसरा सं 232 में कुल 13.658 है0 बारानी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में फुला वल्द हरीसिंह जाति जाट निवासी कणाउ के नाम दर्ज है। जिसमें वादी का नाम दर्ज करते समय सवंहन से मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह की जगह फुला वल्द हरीसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह गांव कणाउ हाल निवासी गांव नथौर तहसिल रानिया जिला सिरसा है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो मनफुल पुत्र हरीसिंह गांव कणाउ व हाल निवासी नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा नाम से ही है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 142/144 के खसरा सं 232 में कुल 13.658 है0 बारानी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में फुला वल्द हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाउ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम **फुला वल्द हरीसिंह की जगह मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी कणाउ हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —29 / 2019

अनवान : —

1. मनफुल पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट (झोरड़) निवासी कणाउ तहसील भादरा हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)।

वादी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री श्रवण सहारण व प्रतिवादी पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 142 / 144 के खसरा सं 232 में कुल 13.658 है0 बारानी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में फुला वल्द हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाउ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम **फुला वल्द हरीसिंह की जगह मनफुलसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी कणाउ हाल निवासी गांव नथौर तहसील रानिया जिला सिरसा** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ